400) (91) 41

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हजार रुपये
RUPEES
20000
रुपये

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 490202

उप कोषाधिकारी
16 SEP

विक्रय विलेख

प्रतिफल की धनराशि	—	रु0 6,68,053/—
बाजारु मूल्य	—	रु0 2,51,500/—
अदा किये गये जनरल स्टाम्प	—	रु0 46,900/—

1. भूमि का प्रकार — कृषि
2. परगना — अरैल
3. ग्राम — मवैया उपरहार

SATKAR COLONIZERS PRIVATE LIMITED

उप कोषागार करछना, [illegible]

दिनांक 19/9/08 मुद्रांक 20,000/-

नाम सरकार की ओर से [illegible] अरविन्द कुमार

पता [illegible] जिला [illegible]

[illegible] 19/9/08

करछना, इलाहाबाद

क्रमांक 668053

[illegible] शुल्क	प्रतिलिपि [illegible]	योग	[illegible]
5000/-	20/-	5020/-	1500

श्री का० प०

[illegible] शंकर लाल उर्फ शंकर दास जायसवाल [illegible] चिरौंजी लाल

[illegible] तहसील करछना

निवासी 500/4 चक रघुनाथ नैनी

[illegible] इलाहाबाद में आज दि० 19-9-08 कार्यालय उप-निबन्धक

[illegible] मध्य 4 5

[illegible]

उप निबन्धक

करछना (इलाहाबाद)

19-9-08

[illegible] 668053/- प्रलेख [illegible]

[illegible] सुनिश्चित [illegible]

[illegible] शंकर लाल उर्फ शंकर दास जायसवाल अरविन्द कुमार तिवारी पुत्र [illegible] तिवारी अधिकृत [illegible] सरकार की ओर से [illegible]

[illegible] एस० डी० श्रीवास्तव

पुत्र श्री [illegible] डी० श्रीवास्तव निवासी [illegible]

करछना जिला इलाहाबाद

सुरेश तिवारी [illegible] पात्र तिवारी

निवासी [illegible] करछना

[illegible]

उप निबन्धक

करछना इलाहाबाद

19-9-08

श्री का० प० [illegible] S.D. Srivastava [illegible]

[illegible] उप निबन्धक

19-9-08 उप निबन्धक

ाग 1)

(केत्ता अथव... यी द्वारा लिखा जाने वाला)

- क्रम-संख्या A 714963

र्थना-प... प्रस्तुत करने का दिनांक 19-9-98

या प्रार्थी का नाम [illegible]

कार [illegible]

ी धनराशि [illegible]

रस्ट्रीकरण शुल्क

लिपिकरण शुल्क

क्षण या तलाश शुल्क [illegible] 668053 2

ारनामा के अधिप्रमाणीकरण के लिए शुल्क

ीशन शुल्क 5020

वध

त्रिक भत्ता

का योग 5020/-

न करने का दिनांक

लेख्य प्रतिलिपि या तलाश प्रमाण-पत्र
के लिए तैयार होगा

अधिकारी के हस्ताक्षर 19-9-98

यू० पी० --04 निबंधन--7-6-2004--निबन्धन
13--24,000 पुस्तकें (डी० टी० पी० /आफसेट)।

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हज़ार रुपये

RUPEES 20000 रुपये

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

490201

उप कोषाधिकारी
16 SEP 2003

4. सम्पत्ति का विवरण – खसरा संख्या 244 रकबा 0.0570 हे0 व 246क रकबा 0.5480 हे0 व खसरा नं0 253 रकबा 0.4110 हे0 कुल योग 1.0160 हे0 का 1/4 भाग अर्थात विक्रीत रकबा 0.2540 हे0 स्थित ग्राम–मवैया उपरहार, परगना–अरैल, तहसील–करछना, जिला–इलाहाबाद।
5. मापन की इकाई – हेक्टेअर
6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल – 0.2540 हे0
7. सड़क की स्थिति – मिर्जापुर रोड से लगभग 500 मीटर से अधिक
8. सम्पत्ति का प्रकार – कृषि
9. पेड़ों की स्थिति – नहीं
10. बोरिंग/कुआं अन्य – कुछ भी नहीं है।

SATKAR COLONIZERS PRIVATE LIMITED

Authorised Signatory

उप कोषागार करछना, इलाहाबाद

दिनांक 19/9/08 मूल्य 20000/-

नाम

पता

19/9/08

उप रजिस्ट्रार करछना, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश

1000 Rs.

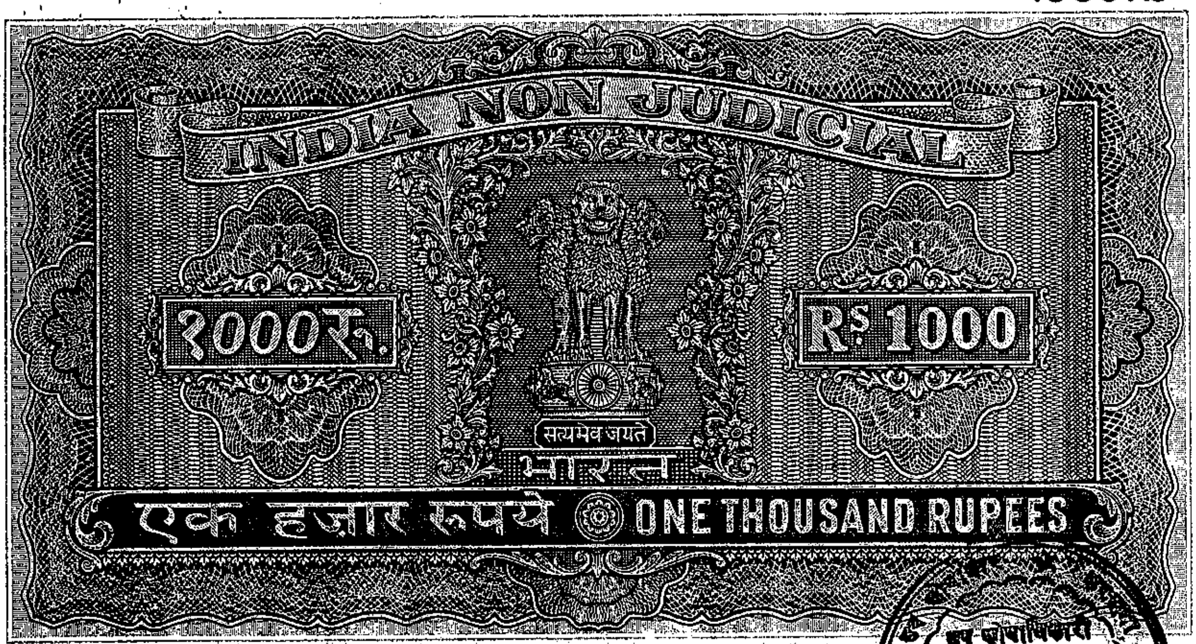

11 SEP 2008

<u>चौहद्दी खसरा नं0 244</u>

उत्तर	: आराजी नं0 242
दक्षिण	: आराजी नं0 246
पूरब	: आराजी नं0 246
पश्चिम	: आराजी नं0 243

<u>चौहद्दी खसरा नं0 246 क</u>

उत्तर	: आराजी नं0 241 व 247
दक्षिण	: आराजी नं0 259 व 260
पूरब	: आराजी नं0 256 व 257
पश्चिम	: आराजी नं0 241 व 243 व 245

SATKAR COLONIZERS PRIVATE LIMITED

Authorised Signatory

उप कोषागार करछना, इलाहाबाद

दिनांक 11/9/08 राशि 1000/-

नाम सरकार कौलेज [illegible] प्रा. लि. द्वारा अरविन्द कुमार

पता 114 सिविल [illegible] लखनऊ

उप कोषाधिकारी 11/9/08
करछना, इलाहाबाद

उप रजिस्ट्रार करछना, जिला इलाहाबाद
उत्तर प्रदेश

1000Rs.

उप कोषाधिकारी
11 SEP 200

चौहद्दी खसरा नं0 253

उत्तर	: आराजी नं0 251 व 252
दक्षिण	: आराजी नं0 256 व 274, व 279
पूरब	: आराजी नं0 279 व 280
पश्चिम	: आराजी नं0 254

प्रथम पक्ष की संख्या –2 : द्वितीय पक्ष की संख्या –1

विक्रेता का विवरण	:	क्रेता का विवरण
शंकर लाल उर्फ शंकरदास जयसवाल पुत्र चिरौंजी लाल ग्राम 500/4 चक रघुनाथ नैनी इलाहाबाद जिला इलाहाबाद।	:	सत्कार कोलोनाइजर्स प्रा0लि0 द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी अरविन्द कुमार तिवारी पुत्र शिवप्रसाद तिवारी पता– जयहिन्द काम्प्लेक्स द्वितीय तल लालबाग लखनऊ [illegible], लखनऊ
व्यवसाय–कृषि	:	व्यवसाय– व्यापार/नौकरी

शंकरदास

SATKAR COLONIZERS PRIVATE LIMITED
Authorised Signatory

उप कोषागार करछना, इलाहाबाद

दिनांक 11/9/-01 क्रमांक 1002

नाम सरकार [illegible] अरविन्द कुमार

पता [illegible]

उप रोकड़िया 11/9/06
करछना, इलाहाबाद

1000Rs.

यह विक्रय विलेख शंकर लाल उर्फ शंकरदास जयसवाल पुत्र चिरौंजी लाल ग्राम 500/4 चक रघुनाथ नैनी इलाहाबाद जिला इलाहाबाद जिन्हें आगे विक्रेता कहा गया है। एवं सत्कार कोलोनाइजर्स प्रा0लि0 द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी अरविन्द कुमार तिवारी पुत्र शिवप्रसाद तिवारी पता– जयहिन्द काम्प्लेक्स द्वितीय तल लालबाग लखनऊ [illegible], लखनऊ। जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है के मध्य निष्पादित ।कया गया।

यह कि विक्रेता भूमि खसरा संख्या 244 रकबा 0.0570 हे0 व 246क रकबा 0.5480 हे0 व खसरा नं0 253 रकबा 0.4110 हे0 कुल योग 1.0160 हे0 का 1/4 भाग अर्थात विक्रीत रकबा 0.2540 हे0

शंकरदास

SATKAR COLONIZERS PRIVATE LIMITED
Authorised Signatory

उप कोषागार करछना, इलाहाबाद

दिनांक 11/9/08 राशि 1000

नाम सरकार [illegible] लि० द्वारा अरविन्द कुमार

पता [illegible]

उप रजिस्ट्रार 11/9/08

करछना, इलाहाबाद

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०००रु.   Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रूपये ONE THOUSAND RUPEES

15 SEP 2008

इलाहाबाद

-6-

स्थित ग्राम–मवैया उपरहार, परगना–अरैल, तहसील–करछना, जिला–इलाहाबाद का मालिक, कामिल व काबिज है तथा उपरोक्त सत्यापित खाता–खतौनी क्रम संख्या 00027 के अनुसार भूमि उदयराज व विजय बहादुर उर्फ गोरे व विजय कुमार उर्फ दरोगा व श्रीमती फूलकली पत्नी स्व0 श्यामसुन्दर उर्फ पुर्रा निवासीगण ग्राम मवैया उपरहार परगना अरैल तहसील करछना जिला इलाहाबाद के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रुप में दर्ज है और विक्रेता ने उपरोक्त उदय बहादुर आदि से उक्त भूमि वर्ष 2004 में जरिये पंजीकृत बैनामा कय किया था जो कि उप रजिस्ट्रार तहसील करछना के कार्यालय में पुस्तक संख्या 1 खण्ड संख्या 451 के पृष्ठ 211 से 248 पर कमांक 168 दिनांकित 09.01.2004 पर दर्ज है। विक्रेता

SATKAR COLONIZERS PRIVATE LIMITED

Authorised Signatory

स्टाम्प विक्रय की तिथि 16/9/08 क्र०सं० 506

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन [illegible]

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता [illegible]

स्टाम्प की धनराशि—

स्टाम्प विक्रेता ज्ञान चन्द्र गुप्ता

लाइसेन्स नं० 453

ला० की अवधि 1-4-07 से 31-3-09

तहसील परिसर तहसील करछना, इलाहाबाद

1000Rs.

15 SEP 2008

अपना सम्पूर्ण हिस्सा क्रेता को इस विक्रय विलेख के द्वारा विक्रय कर रहा है, विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि का मालिक, कामिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है और उक्त भूमि सरप्लस भूमि का हिस्सा नहीं है। यह कि विक्रेता यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। विक्रेता ने उक्त भूमि पर कृषि ऋण या अन्य किसी प्रकार को कोई ऋण नहीं लिया है। यदि ऐसा कोई ऋण भविष्य में निकलता है तो उसके जिम्मेदार विक्रेता व उसके वारिसान व विधिक उत्तराधिकारी होंगे। विक्रीत भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही

शीशपाल

SATKAR COLONIZERS PRIVATE LIMITED

Authorised Signatory

स्टाम्प विक्रय की तिथि 16/9/08 क्र०सं० 587

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन [illegible]

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता [illegible]

[illegible]

स्टाम्प की धनराशि— 100/-

स्टाम्प विक्रेता ज्ञान चन्द्र गुप्ता

लाइसेन्स नं० 453

ला० की अवधि 1-4 से 31-3

तहसील परिसर तहसील करछना, इलाहाबाद

तहसीलदार करछना
उत्तर प्रदेश

1000Rs.

उप कोषाधिकारी
16 SEP 2008
इलाहाबाद

के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के विक्रय के फलस्वरुप कुल विक्रय मूल्य रु0 6,68,053/– (छः लाख अरसठ हजार तिरपन रु0 मात्र) के प्रतिफल में जिसका उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता की इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ स्वीकार करते हैं, तदानुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस व्रिक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को कतई बेंच दिया

SATKAR COLONIZERS PRIVATE LIMITED

Authorised Signatory

स्टाम्प विक्रय की तिथि 16/9/18 क्र०सं० 570

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन बैनामा

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता लेको कोलोनाइजर्स प्रा० लि० द्वारा अरविन्द कुमार

जय हिन्द रामटेक्नीकल बिल्डिंग लखनऊ

स्टाम्प की धनराशि— 100/-

स्टाम्प विक्रेता ज्ञान चन्द्र गुप्ता

लाइसेन्स नं० 453

ला० की अवधि 1-4 ...... से 31-3 ......

तहसील परिसर तहसील करछना, इलाहाबाद

उप रजिस्ट्रार करछना

उत्तर प्रदेश

500Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५००रु. Rs 500

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

11 SEP 2000

है एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखुबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रुप में धारणएवं उपयोग व उपभोग करेंगे। विक्रेता व उसके वारिसान उसमें किसी प्रकार की अड़चन, बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई माँग कर सकेगें और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा उसका कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या किसी कानूनी अड़चन या कानूनी

SATKAR COLONIZERS PRIVATE LIMITED

Authorised Signatory

उप कोषागार करछना, इलाहाबाद

दिनांक 11/9/07 [illegible] 500

नाम [illegible]

पता [illegible]

उप रजिस्ट्रार 11/9/07

करछना, इलाहाबाद

उप रजिस्ट्रार करछना [illegible]

उत्तर प्रदेश

100 Rs.

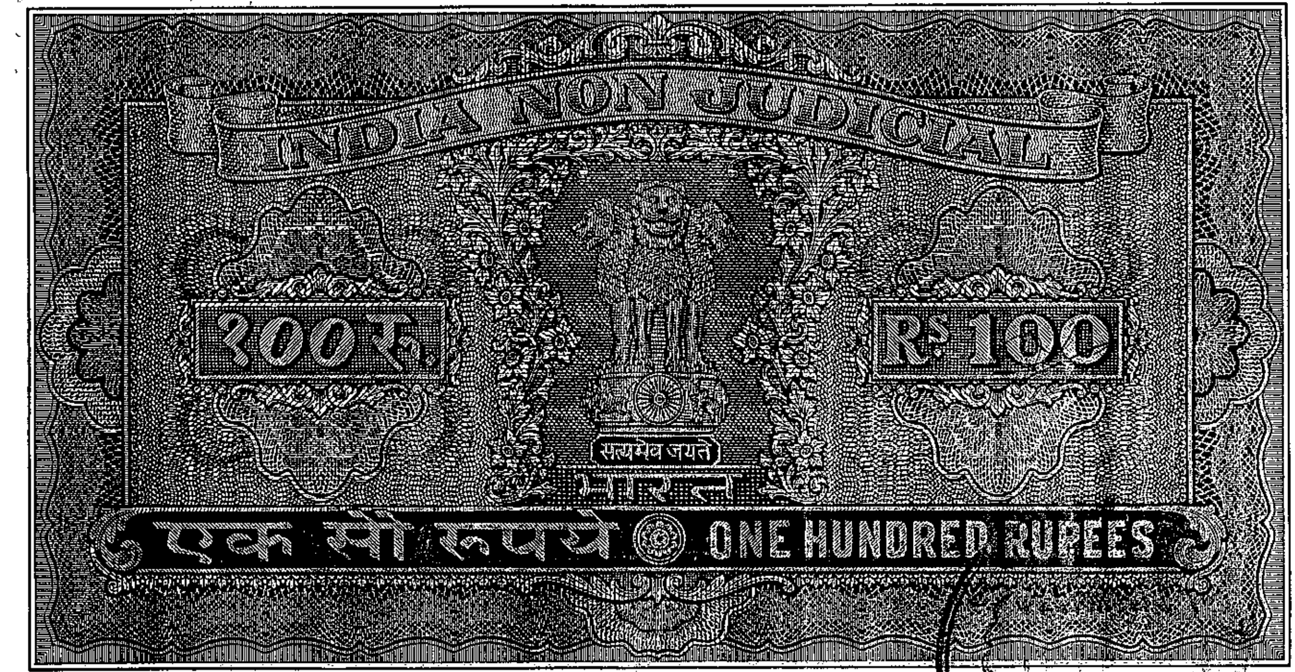

त्रुटि के कारणक्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता व उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह अधिकार होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा विक्रेता की चल व अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर लें उस स्थिति में विक्रेता व उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि विक्रेता यह भी घोषित करता है कि उक्त भूमि विकास प्राधिकरण इलाहाबाद तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद उ0प्र0 तथा अन्य किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहीत नहीं की गई है और न ही प्रस्तावित है।

SATKAR COLONIZERS PRIVATE LIMITED

Authorised Signatory

उप कारागार करछना, इलाहाबाद

दिनांक 11/9/08 क्रमांक 1006

नाम सचिव [illegible] द्वारा अरविन्द कुमार

पता एम 16 [illegible] लखनऊ

उप रोकड़िया 11/9/08

करछना, इलाहाबाद

100 Rs.

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम करा ले तो विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी। यहकि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेंगे, विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नं0 ग्राम--मवैया उपराहार, परगना--अरैल, तहसील--करछना, जिला इलाहाबाद के अर्द्धनगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। इसलिए निर्धारित सर्किल रेट 4,00,000 रु0 प्रति एकड़ की दर से विक्रीत भूमि 0.2540 हे0 की मालियत रु0 2,51,500/– होगी।

SATKAR COLONIZERS PRIVATE LIMITED

Authorised Signatory

स्टाम्प विक्रय की तिथि 10/9/07 क्र०सं० 5713

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन .... बैनामा

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता सहारा कोलोनाइजर्स लि० द्वारा अरविन्द कुमार

.... [illegible] लखनऊ

स्टाम्प की धनराशि— 100/- ....

स्टाम्प विक्रेता लाल चन्द्र गुप्ता

लाइसेन्स नं० 453

स्टा० की अवधि 1-4-07 से 31-3-

तहसील परिसर तहसील करछना, इलाहाबाद

100 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु. Rs. 100

सत्यमेव जयते

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

उप कोषाधिकारी 11 SEP 2008

-12-

चूंकि विक्रय मूल्य भूमि की बाजारु मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रु0 46,900/– का स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यहकि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि उपयोग के लिए क्रय की जा रही है, भूमि में कोई इमारत आदि नहीं है तथा किसी भी प्रकार की आवासीय गतिविधियाँ नहीं चल रही हैं तथा 200 मीटर के अर्द्धव्यास में कोई निर्माण नहीं है। विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग, व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि मिर्जापुर रोड से लगभग 500 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।

SATKAR COLONIZERS PRIVATE LIMITED

Authorised Signatory

स्टाम्प विक्रय की तिथि 16/9/08 क्र०सं० 512

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन [illegible]

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता [illegible]

स्टाम्प की धनराशि 20/-

स्टाम्प विक्रेता ज्ञान चन्द्र गुप्ता

लाइसेंस नं० 453

लाइ० की अवधि 1-4-07 से 31-3-[illegible]

तहसील परिसर तहसील करछना, इलाहाबाद

100Rs.

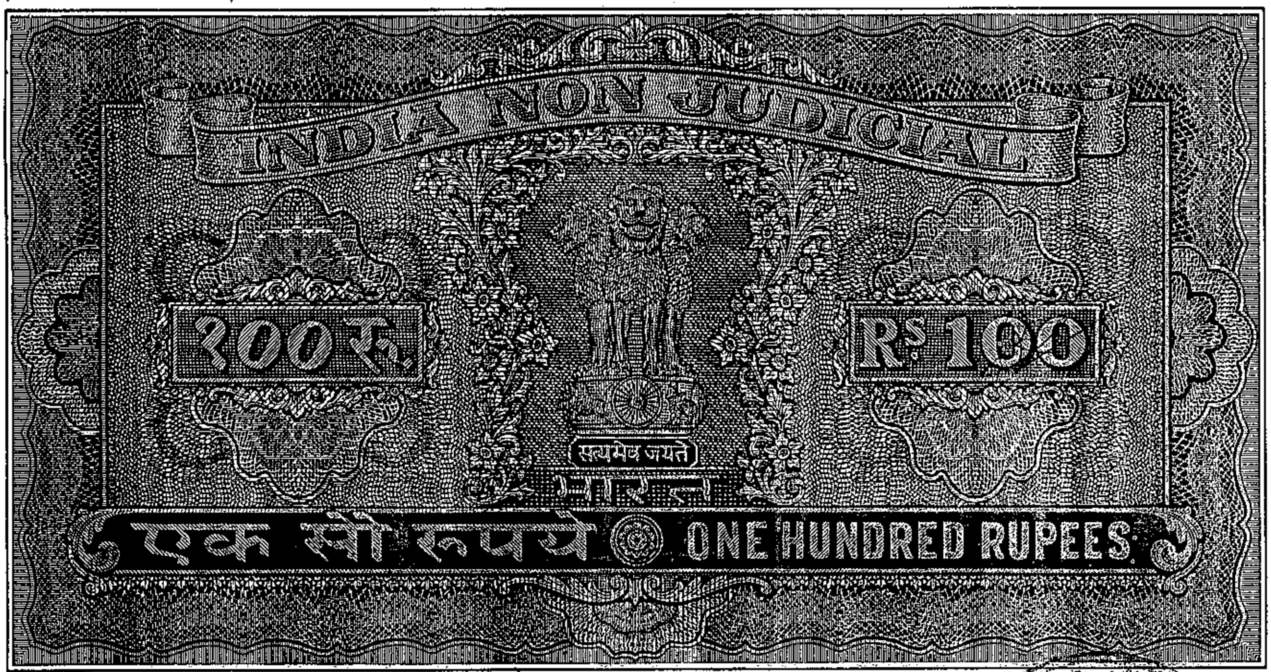

-13-

विक्रेता व क्रेता दोनो अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं हैं। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त खर्च क्रेता द्वारा वहन किया जा रहा है। लिहाजा यह विक्रयपत्र विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में स्वस्थ चित्त मन व बगैर किसी जोर दबाव के राजी व खुशी से क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे।

SATKAR COLONIZERS PRIVATE LIMITED

Authorised Signatory

स्टाम्प विक्रय की तिथि 16/9/08 क्र०सं० 514

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन [illegible]

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता [illegible]

.... [illegible] 508

स्टाम्प की धनराशि— 100/-

स्टाम्प विक्रेता ज्ञान चन्द्र गुप्ता

लाइसेन्स नं० 453

ला० की अवधि 1-4-08 से 31-3-09

तहसील परिसर तहसील करछना, इलाहाबाद

[illegible]

परिशिष्ट भुगतान

विक्रेता को रु0 6,68,053/— द्वारा चेक संख्या—018468 दिनांकित 19.11.2008 बैंक ऑफ इण्डिया शाखा नैनी इलाहाबाद क्रेता को प्रदान किया गया है। जिसकी प्राप्ति को विक्रेता स्वीकार करता हैं। विक्रेता को क्रेता से कोई भी धनराशि लेना शेष नहीं है।

दिनांक — 19/09/08

गवाह

1. S.R. Srivastava
S/o Sri V.D. Srivastava
Chandan Bihar
ALLAHABAD

विक्रेता

क्रेता

SATKAR COLONIZERS PRIVATE LIMITED
Authorised Signatory

2.

टाइपकर्ता
(करुणाकर सिंह)

मसविदाकर्ता
(रावेन्द्र प्रताप सिंह)
(एडवोकेट)

रजिस्ट्रार

उत्तर प्रदेश

प्रारुप अंगूठा निशानी

नाम

पता

बांए हाथ के अंगूलियों के निशान

दांए हाथ के अंगूलियों के निशान

विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

नाम

पता

बांए हाथ के अंगूलियों के निशान

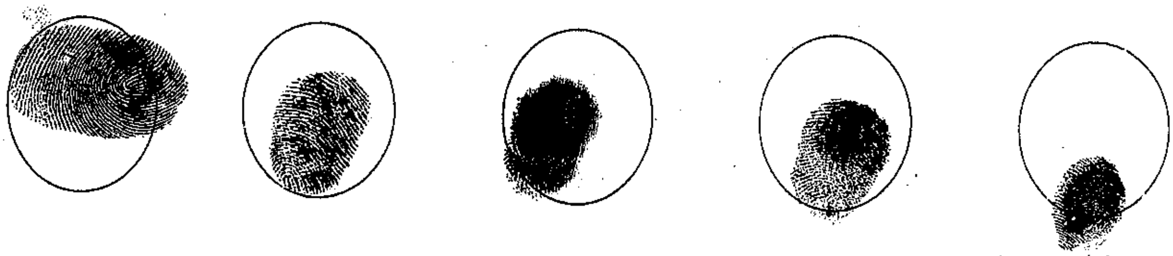

दांए हाथ के अंगूलियों के निशान

COLONIZERS PRIVATE

विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश

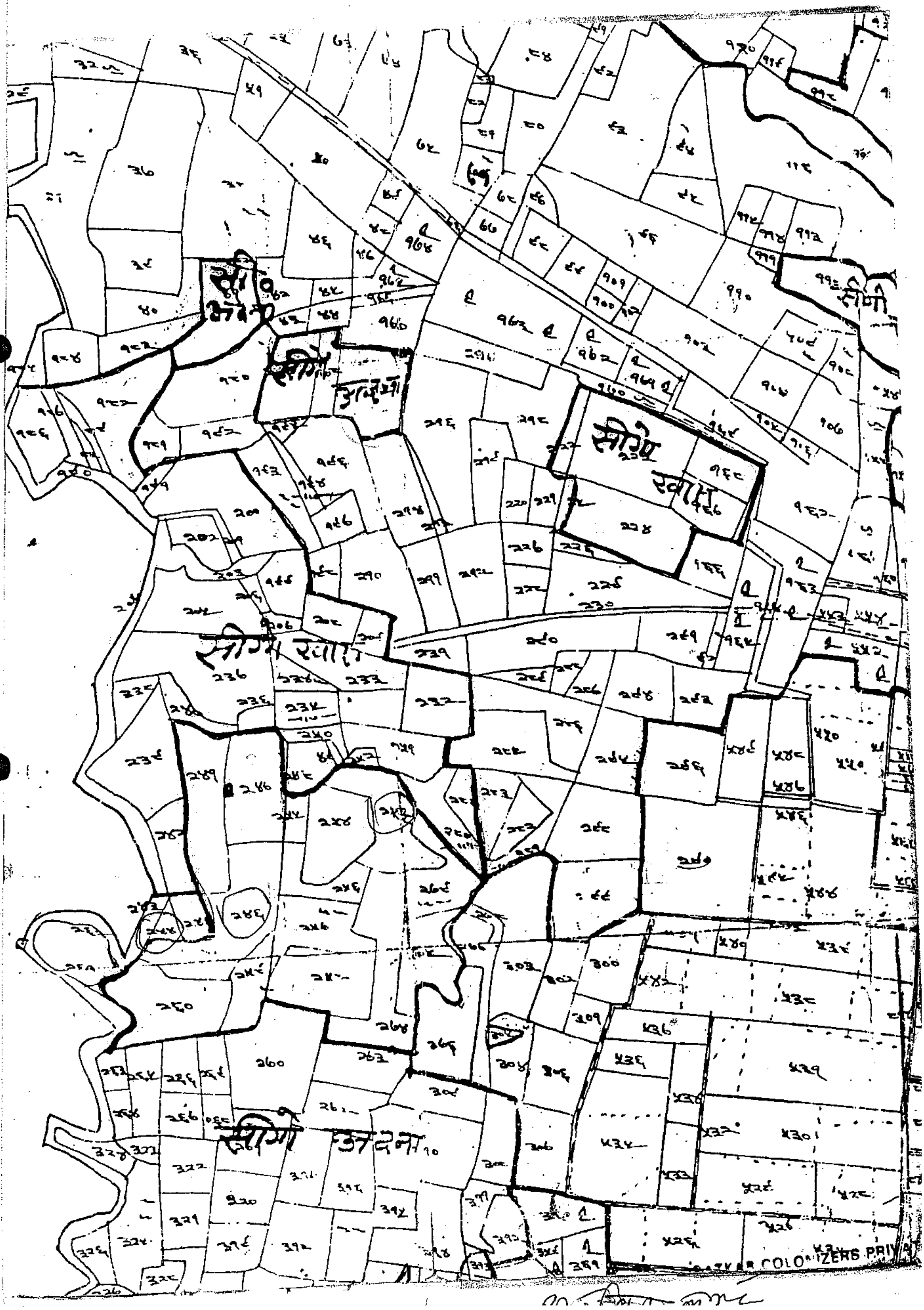

आज दिनांक 19/9/08 को

प्रति पुस्तक संख्या 1 जिल्द 1530 के

पृष्ठ 79/110 पर क्रम संख्या 4007 पर

निबंधित किया गया।

उप निबंधक

करछना-इलाहाबाद

ता. फे. 26/10/08

रजिस्ट्रार करछना

उत्तर प्रदेश

F.N. 40

न्यायालय तहसीलदार करछना इलाहाबाद

वाद संख्या 2307 वर्ष–2007–08 धारा –34एल0 आर0 एक्ट।

मौजा मवैया उपरहार परगना अरैल तहसील करछना जिला इलाहाबाद

सत्कार कोलोनाइजर्स प्रा0 लि0 बनाम शंकरदास जयसवाल

आदेश

प्रस्तुत नामान्तरण वाद लेखपाल की रिर्पोट जरिए बैनामा दिनॉक 19/09/08 के आधार पर वाद दर्ज होकर इश्तहार जारी किया गया जो वाद तामील शामिल पत्रावली है किसी कि ओर से कोई आपत्ति नही दाखिल की गयी है जिससे विदित होता है कि भूमि सीलिंग नजूल तथा पट्टे की जमीन नही है विक्रेता व क्रेता दोनों अनु0 जाति का व्यक्ति नही है। मौके पर क्रेता का कब्जा व दखल है। वर्णित तथ्यो तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो एवं हल्का लेखपाल द्वारा प्रस्तुत रिर्पोट के आधार पर नामान्तरण रिर्पोट स्वीकार किये जाने में कोई विधिक अड़चन नही प्रतीत होता है।

अतः आदेश दि ा जाता है कि मौजा मवैया उपरहार परगना अरैल तहसील करछना जिला इल ाबाद खाता संख्या 00027 गाटा संख्या 244 रकबा 0.0570 हे0 गाटा संख्या 246क रकबा 0.5 30 हे0 गाटा संख्या 253 रकबा 0.4110 हे0 कुल रकबा 1.0160 हे0 का 1/2 भाग रकबा 0.5080 हे0 लगान 60ख से विक्रेता शंकरदास जयसवाल पुत्र चिरौंजी लाल निवासी 500/4 चक रघुनाथ नैनी जिला इलाहाबाद का नाम निरस्त करके उसके स्थान पर सत्कार कोलोनाइजर्स प्रा0 लि0 द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी अरविन्द कुमार तिवारी पुत्र शिव प्रसाद तिवारी पता द्वितीय तल जय हिन्द कॉम्प्लेक्स लालबाग लखनऊ का नाम जरिए बैनामा दिनॉक 19/09/08 के आधार पर सक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो। प ाना जारी हो बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

26.10.08

(आशीष कुमार मिश्र)
तहसीलदार करछना
इलाहाबाद

विक्रय पत्र सं. 4007 दिनांक : 19.09.08

मैंने भूमि अधिग्रहण अधिकारी, इलाहाबाद की आख्या का पुनः परीक्षण किया, बैनामा पूर्णतः विधि अनुरूप है ।

(एस.के. सोलंकी)
भूमि अधिग्रहण अधिकारी
आर.ई.पी.एल. नोएडा
गौतमबुद्धनगर

अधोहस्ताक्षरी द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिकारी, इलाहाबाद एवं भूमि अधिग्रहण अधिकारी, नोएडा की आख्या का एवं आख्या के साथ संलग्न मूल विक्रय पत्र का विधि संगत अवलोकन/परीक्षण किया गया । मैं भूमि अधिग्रहण अधिकारीगण की आख्या से सहमत हूँ । बैनामा विधिक प्रकिया के अनुसार निष्पादित किया गया है ।

(रमेन्द्र त्रिपाठी)
चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर
आर.ई.पी.एल. नोएडा
गौतमबुद्धनगर

महोदय,

विक्रय पत्र संख्या 4007 दि0 19.09.08

मैने ग्राम मवैया उपरहार परगना अरैल तहसील करछना जिला इलाहाबाद के विक्रय पत्र सं0 4007 दि0 19.09.08 में वर्णित भूमि सं0 253 क्षे0 0.4110, 244 क्षे0 0.0570, 246क क्षे0 0.5480, कुल क्षे0 1.0160 का 1/4 भाग अर्थात 0.2540 हे0 की जांच उपलब्ध राजस्व अभिलेख से करके एक विस्तृत जांच आख्या तैयार किया गया है जो निम्नवत् है।

1.	विक्रेता का नाम	शंकरलाल उर्फ शंकरदास जयसवाल पुत्र चिरौजी लाल नि0 500/4 चक रघुनाथ नैनी।
2.	क्रेता का नाम	सत्कार कोलोनाइजर प्रा0लि0 अधि0हस्ता0 अरविन्द तिवारी पुत्र शिवप्रसाद तिवारी, जयहिन्द काम्पलेक्स, द्वितीय तल लालबाग, लखनऊ।
3.	विक्रेता एवं क्रेता की जाति	विक्रय पत्र के अनुसार दोनों सामान्य जाति के।
4.	भूमि की प्रकृति	कृषिक
5.	30 वर्ष तक के उपलब्ध राजस्व अभिलेख के अनुसार भूमि की स्थिति	जो0च0आ0प0 45 खतौनी चकबन्दी के खाता सं0 68 में विकित भूमि बिन्देश्वरी, शिवमूरत, परसोत्तम, मिश्रीलाल पुत्रगण बिहारी के नाम दर्ज है।

सन् 1386–1391 फ0 के खाता सं0 89 में सन्दर्भित भूमि पर उपरोक्तानुसार नाम दर्ज है।

सन् 1392–1396 फ0 के खतौनी के खाता सं0 95 में सन्दर्भित भूमि पर बिन्देश्वरी, परसोत्तम, मिश्रीलाल पुत्रगण बिहारी चतुर्भुज, बृजलाल पुत्रगण शिवमूरत के नाम दर्ज है।

सन् 1397–1402 फ0 की खतौनी के कमशः खाता सं0 15 में कामता प्रसाद, बृजमोहन, प्रभात कुमार पुत्रगण बिन्देश्वरी, मिश्रीलाल पुत्र बिहारी व अशर्फी लाल पुत्र परसोत्तम व गिरजाशंकर पुत्र रतनलाल व चतुर्भुज, बृजलाल पुत्रगण शिवमूरत के नाम दर्ज है।

इसी प्रकार सन् 1403–1408 फ0 के खतौनी के खाता सं0 26 में सन्दर्भित भूमि पर उपरोक्तानुसार नाम दर्ज है। किन्तु खाता सं0 164 में अंकित आदेश के अनुसार गाटा सं0 244 क्षे0 0–5–0 (0.0570हे0) से बिन्देश्वरी पुत्र बिहारी का 1/4 अंश नगरीय सीलिंग में दर्ज होने का आदेश दर्ज है।

सन् 1409–1414 फ0 के खतौनी के खाता सं0 27 में सन्दर्भित भूमि पर उदयराज, गोरे, दरोगा पुत्रगण मिश्रीलाल व फूलकली पत्नी पूरी व अशर्फीलाल पुत्र परसोत्तम व गिरजाशंकर पुत्र रतनलाल व चतुर्भुज पुत्र शिवमूरत व शंकरलाल जयसवाल पुत्र चिरौजी लाल जयसवाल नि0 500/4 चकरघुनाथ नैनी के नाम दर्ज है।

सन् 1415–1420 फ0 के खतौनी के खाता सं0 27 में सन्दर्भित भूमि ब्यूटीफुल लैंडबेस प्रा0लि0 व उदयराज, गोरे, दरोगा पुत्रगण मिश्रीलाल व फूलकली पत्नी पूरी व शंकरलाल जयसवाल पुत्र चिरौजी लाल जयसवाल के नाम दर्ज है। इसमें चतुर्भुज पुत्र शिवमूरत का भी नाम होना चाहिये। उनका नाम अंकित नही है। बैनामा के आधार पर विक्रेता का नाम निरस्त होकर क्रेता सत्कार कालोनाइजर प्रा0लि0 अधि0हस्ता0 अरविन्द तिवारी पुत्र शिवप्रसाद तिवारी, जयहिन्द काम्पलेक्स, द्वितीय तल लालबाग, लखनऊ का नाम दर्ज हो चुका है।

6.	हस्तान्तरण योग्य है/नही	हस्तान्तरणीय (ट्रांसफरेबल) है।
7.	भारमुक्त प्रमाण पत्र (एनईसी) के अनुसार भूमि की स्थिति	भारमुक्त है।
8.	सीलिंग/ग्राम समाज में होने की स्थिति	किसी में दर्ज नही है।
9.	नामांतरण हो गया है या नही	नामांतरण नही हुआ है।
10.	अभियुक्ति	विकित भूमि में मूलरूप से चार खातेदार बिन्देश्वरी, शिवमूरत, परसोत्तम, मिश्रीलाल पुत्रगण बिहारी का नाम दर्ज है। बिन्देश्वर व शिवमूरत मृतक हो चुके है। बिन्देश्वरी के वारिस कामता, बृजमोहन, प्रभात कुमार पुत्रगण बिन्देश्वरी तथा शिवमूरत मृतक के वारिस बृजलाल पुत्र शिवमूरत का नाम दर्ज है। शंकरलाल पुत्र चिरौजी लाल ने बिन्देश्वरी, शिवमूरत के वारिसों द्वारा उपरोक्त भूमि का बैनामा कराया है, जिसमें विक्रेतागण का कुल मिलाकर 1/2 अंश है और इसी 1/2 अंश का विकय शंकर लाल उर्फ शंकरदास जयसवाल पुत्र चिरौजी लाल जयसवाल ने विकय पत्र सं0 4006 के द्वारा 1/2 अंश अर्थात 0.5080 हे0 का विकय सत्कार कोलोनाईजर के नाम कर दिया है। जिसका नामांतरण वाद सं0 2307 दि0 26.10.08 के द्वारा हो चुका है। इस विक्रय पत्र में अंकित भूमि का बैनामा मिश्रीलाल पुत्र बिहारी मृतक के वारिस उदयराज, विजयबहादुर, विजय कुमार पुत्रगण मिश्रीलाल व श्रीमती फूलकली पत्नी श्यामसुन्दर के द्वारा शंकरलाल उर्फ शंकरदास जयसवाल पुत्र चिरौजी लाल जयसवाल ने 1/4 अंश का बैनामा कराया था और उसी बैनामे के आधार पर सत्कार कोलोनाईजर प्रा0लि0 को किया है। इस प्रकार जांच में भूमि सही पायी गयी। कोई त्रुटि नही है।

आख्या सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(ए0 एन0 मिश्रा)
भूमि अधिग्रहण अधिकारी
आर0ई0पी0एल0, इलाहाबाद।